

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 06 / 2006 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 03.02.2006

रामकरनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, उम्र 62 वर्ष। जाति तोमर, निवासी ग्राम राय की पाली, परगना व जिला भिण्ड म.प्र.। हाल निवासी गंज बाजार, चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

अपीलॉन्ट / प्रतिवादी

बनाम

1. कृष्णगोपाल सिंह तोमर पुत्र छोटेसिंह तोमर, निवासी राय की पाली, गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।

-----रेस्पोंडेंट / वादी

2. म०प्र० शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर भिण्ड जिला भिण्ड, म०प्र०।

-----रिस्पोंडेंटगण

अपीलार्थी द्वारा श्री सतीशचन्द्र मिश्रा अधिवक्ता।

प्रतिअपीलार्थी क्र. 1 द्वारा श्री जी०एस०निगम अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 2 पूर्व से एक पक्षीय

// निर्णय //

(आज दिनांक 15-10-2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद, पीठासीन अधिकारी श्री आर०बी०यादव के द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 01ए/2001 ई०दी० कृष्णगोपालसिंह तोमर वि० करनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2005 से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी/प्रतिअपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुए दावा डिक्री किया गया है। अपील के साथ अपीलार्थी अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान अधिनियम तथा अन्य आवेदनपत्र धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते

जबावदावा रिकार्ड में लिए जाने बावत् एवं आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किए गए हैं। प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में अपीलार्थी को प्रतिवादी एवं प्रतिअपीलार्थी को वादी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. यह अविवादित है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा इस न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2006 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में द्वितीय अपील पेश की गई थी जो कि द्वितीय अपील क्रमांक 767/2006 रामकरनसिंह वगैरह वि0 कृष्ण बगैरह में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.05.2016 को आदेश पारित करते हुए बिलम्ब के आधार पर प्रथम अपील निरस्त करने से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः गुणदोष के आधार पर सुनवाई किए जाने बावत् इस न्यायालय को भेजा गया है।

03. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी का दावा संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि ग्राम राय की पाली स्थित विवादित आराजी वादी के पैतृक भूमि सर्वे क्रमांक 578 रकबा 0.42 हे0 जो कि बंदोवस्त के पूर्व उसके पिता के नाम थी व बंदोवस्त के दौरान पारिवारिक व्यवस्था में वादी को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवादित भूमि वादी के भूस्वामित्व व आधिपत्य की है। बंदोवस्त के दौरान अधिकार अभिलेख वितरित किए जाने के समय प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी पर अपना नाम दर्ज कराने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है तथा वादी को विवादित भूमि से वे-दखल कर कब्जा करने की धमकी दी गई है। इस प्रकार वाद कारण उत्पन्न होने से वादी द्वारा यह वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर वांछित सहायता दिलाए जाने का निवेदन किया गया।

04. प्रतिवादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई भी जबाव दावा पेश नहीं किया गया है, जिस कारण उसका जबावदावा का अवसर समाप्त किया गया है।

05. विचारण न्यायालय के द्वारा विवाद के बिन्दु निर्मित किये गए हैं जो कि उक्त दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर वादप्रश्नों पर निष्कर्ष अंकित करते हुए वादी के दावे को प्रमाणित पाते हुए आज्ञा पारित की गई है।

06. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2005 वैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाकर दस्तावेजों के अवलोकन किए बिना और साक्ष्य पर विचार किये बिना पारित की गई है, जिसमें कि वादी साक्ष्य पर अनुचित रूप से विश्वास कर गलत निष्कर्ष दिया गया है। बंदोवस्त के दौरान हुए व्यवस्थापन के संबंध में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार ससविल न्यायालय को नहीं है। विवादित भूमि के बावत् विवाद राजस्व न्यायालय में पूर्व से संचालित है। वादी का इसी आधार पर पूर्व वाद दिनांक 31.03.2005 को अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की पैतृक सम्पत्ति होने बावत् अभिमत नहीं दिया गया है। यह दावा प्रचलन योग्य नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

07. धारा 5 अवधि विधान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा मात्र बिलम्ब के आधार पर अपील को निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं माना है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि अपील पेश करने में जो बिलम्ब हुई है और इस आधार पर दावा निरस्त किये जाने का जो आदेश हुआ है वह अपास्त किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा 5 अवधि विधान के आवेदनपत्र का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में हो जाता है।

08. प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील के संबंध में लिए गए अन्य आधारों के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—

1. क्या अपीलार्थी को जबावदावा पेश करने का अवसर अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है? क्या उसके द्वारा प्रस्तुत जबावदावा रिकार्ड में लिए जाने योग्य है?
2. क्या अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड में लिए जाने योग्य है?
3. क्या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2005 में हस्तक्षेप किये जाने हेतु कोई न्यायसंगत आधार है?

—:विचारणीय बिन्दुओं पर निष्कर्ष के आधार:—

बिन्दु क्रमांक 01:—

09. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा 151 सी.पी.सी. में इस आशय का निवेदन किया गया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जबावदावा पेश नहीं कर सका था। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेमेडी लेने की लिबर्टी दी गई है जो कि प्रकरण के न्यायोचित निराकरण हेतु रिकार्ड में लिया जाना न्यायसंगत है। वादी के द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए दावा पेश किया गया है। ऐसी दशा में जबावदावा पेश करने में हुए बिलम्ब को क्षमा करते हुए जबावदावा रिकार्ड में लिए जाने का निवेदन किया गया है।

10. प्रतिअपीलार्थी/वादी अधिवक्ता ने आवेदनपत्र का विरोध करते हुए यह बताया है कि जबावदावा पेश करने हेतु वादी को कई अवसर प्रदान किए गए हैं, किन्तु उसके द्वारा कोई भी जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है और न्यायालय के द्वारा जबावदावे का

अवसर समाप्त किया गया है जिसके विरुद्ध प्रतिवादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका पेश की गई थी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा भी रिट याचिका निरस्त की गई है। इस संबंध में पूर्व में निराकरण किया जा चुका है। ऐसी दशा में जबावदावा रिकार्ड में लिए जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

11. प्रतिअपीलार्थी/वादी के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष व्यवहारवाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.10.2001 को पेश किया गया है, जिसमें कि प्रतिवादी को जबावदावा पेश करने हेतु विचारण न्यायालय के द्वारा पर्याप्त अवसर दिए गए हैं जो कि दिनांक 22.02.2002 को 25/- रु. हर्जाना पर तथा दिनांक 20.03.2002 को 50/- रु. हर्जाना लगाते हुए एवं दिनांक 07.04.2002 व 14.05.2002 को 100/- 100/- रूपए का हर्जाना लगाते हुए अवसर दिया गया है। इसके उपरांत भी प्रतिवादी के द्वारा जबावदावा पेश न करने के कारण दिनांक 12.07.2002 को विचारण न्यायालय के द्वारा जबावदावा हेतु दिया गए अवसों का हवाला देते हुए एवं पूर्ण विवरण देते हुए जबावदावे का असवर समाप्त कर वादी साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया गया है। इसके उपरांत भी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित रहा है, किन्तु प्रतिवादी के द्वारा कोई जबावदावा इस दौरान भी पेश नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2002 के विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका भी पेश की गई है जो कि रिट पिटीशन क्रमांक 1703/2002 आदेश दिनांक 29.01.2004 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा उक्त पिटीशन निरस्त की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील या रिवीजन प्रतिवादी के द्वारा पेश नहीं की गई है और इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश अंतिम हो चुका है।

12. अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त रिट पिटीशन में उसे यह अधिकार दिया गया है कि उसे जबावदावा पेश करने से मना किए जाने के आदेश के संबंध में वह अंतिम आदेश होने के उपरांत इस संबंध में आपत्ति ले सकता है और कानून के द्वारा विहित उपचार ले सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा वर्तमान आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया गया है और उसके साथ अपना जबावदावा भी वह पेश कर रहा है। इस बिन्दु पर प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा हरीशंकर रस्तोगी वि० श्याम मनोहर बगैरह 2005(3) एस.सी.सी. 761 का हवाला देते हुए पेश किया गया है।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी का जबावदावा पेश करने का अवसर समाप्त करने के उपरांत प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा है और

कार्यवाही में उसके द्वारा भाग लिया गया है। जबावदावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश न करने के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा अपने आवेदनपत्र में कोई भी समुचित एवं युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है। इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त दृष्टांत द्वितीय अपील में आदेश 41 नियत 22 सी.पी.सी. के तहत क्रोस ओब्जेक्शन से संबंधित है जैसा कि माननीय न्यायालय के द्वारा अपील की तरह माना गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर वर्तमान प्रकरण जो कि प्रथम अपील की स्टेज पर है जबावदावा अभिलेख में स्वीकार किया जाने का कोई आधार नहीं है। इस संबंध में आवेदनपत्र पर कोई भी समुचित एवं युक्तियुक्त कारण होना भी नहीं दर्शाया गया है जिससे कि विचारण न्यायालय के समक्ष उसका जबावदावा पेश करने से प्रवरित होने के संबंध में कोई युक्तियुक्त आधार हो। प्रतिवादी के जबावदावे के अवसर को समाप्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका भी निरस्त हो चुकी है, इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के परिप्रेक्ष्य में इस स्टेज पर उसके जबावदावे को अभिलेख में लिए जाने और इस आधार पर पुनः कार्यवाही किये जाने का कोई भी युक्तियुक्त एवं औचित्य आधार होना नहीं पाया जाता है। उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र 151 सी.पी.सी. निरस्त किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2:-

14. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अन्य आवेदनपत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. में इस आशय का निवेदन किया गया है कि वादी के द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज जो कि प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक थे प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिस कारण न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति नहीं आई थी, इस कारण प्रतिवादी/अपीलार्थी विवादित स्थल से संबंधित राजस्व दस्तावेज जिनमें खसरा नकलें अक्श, किस्तबंद खनौती तथा राजस्व मण्डल के निर्णय की प्रति पेश कर रहा है। उक्त दस्तावेज पूर्व में त्रुटिवश उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सके थे। दस्तावेज फर्जी कूट रचित एवं बनावटी नहीं है, वह राजस्व न्यायालय से संबंधित अभिलेख है। उक्त दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया है जिससे कि प्रकरण का गुणदोष के आधार पर उचित रूप से निराकरण किया जा सके।

15. प्रतिअपीलार्थी/वादी अधिवक्ता ने उपरोक्त आवेदनपत्र का विरोध करते हुए यह बताया है कि प्रतिवादी को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु काफी समय दिया गया, इसके उपरांत भी उसके द्वारा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जो दस्तावेज वह पेश कर रहा है वह राजस्व न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित है। प्रतिवादी ने आवेदनपत्र में

कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया गया है कि किन कारणों से वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकता था और इस कारण अपील न्यायालय के द्वारा दस्तावेजों को रिकार्ड में लेने का आदेश दिया जाना वैधानिक नहीं है। आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

16. उपरोक्त संबंध में उभय पक्षों के अभिभाषकों को सुना और इस संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवहारवाद जो कि दिनांक 03.01.2001 को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसमें प्रतिवादी उपस्थित हुआ है, उसको जबाबदावा पेश करने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु विचारण न्यायालय के द्वारा समुचित एवं युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए गए हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में दिनांक 31.03.2005 को विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में निर्णय व आज्ञा पारित की गई थी जिसके विरुद्ध प्रतिवादी ने अपील न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो कि अपील न्यायालय के द्वारा प्रकरण पुनः विचारण हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किये जाने का आदेश दिनांक 15.09.2005 को दिया गया और विचारण न्यायालय के द्वारा पुनः प्रकरण सुनवाई में लिया गया, जिसमें कि वर्तमान अपीलार्थी/प्रतिवादी उपस्थित रहा है और पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने का अवसर भी दिया गया है। तत्पश्चात् उभयपक्षों के उपस्थिति में दिनांक 26.11.2005 को वर्तमान निर्णय व आज्ञा पारित की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस दौरान भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

17. प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया कि राजस्व न्यायालय के समक्ष नक्शा दुरस्ती की कार्यवाही चल रही थी, किन्तु नक्शा दुरस्ती चलने की कार्यवाही तथा राजस्व दस्तावेजों में प्रविष्टियों को सही नहीं होने के संबंध में प्रतिवादी को वर्तमान दावा चलने के दौरान जानकारी थी। उक्त तथ्यों के संबंध में जानकारी होने की अपेक्षा भी उससे की जा सकती है। उसे विचारण न्यायालय के समक्ष इस हेतु पर्याप्त एवं समुचित अवसर भी दिया गया, किन्तु प्रतिवादी ने उक्त दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

18. आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी पेश करने के हकदार नहीं होंगे, किन्तु इस संबंध में अपील न्यायालय के साक्ष्य ग्राह्य करने की शक्ति उस दशा में दी गई है, जबकि कोई सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की जा सकती थी या किसी अन्य सारवान हेतु दर्शाए जाने पर इसे अनुज्ञात कर सकता है। प्रतिवादी के द्वारा पूर्व में

दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने का कारण त्रुटिग्रस्त होना बताया है, किन्तु आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत मात्र पक्षकारों के द्वारा की गई त्रुटि या लापरवाही के आधार पर दस्तावेज अपील की स्टेज पर रिकार्ड में लिए जाने का कोई भी आधार नहीं हो सकता है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कोई युक्तियुक्त आधार अथवा कोई सद्भावना नहीं दर्शाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने का कोई भी आधार न होने से आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 03:-

19. विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2005 के संबंध में वादी कृष्णगोपाल तोमर व०सा० 1 जिसका समर्थन जनकसिंह तोमर व०सा० 2, मुकुटसिंह व०सा० 3 के कथन से भी होता है। विवादित भूमि वादी को बंदोवस्त में पारिवारिक व्यवस्था में मिलना और उस पर उसका भू-स्वामित्व एवं कब्जा होने के संबंध में बताया गया है। वादी की ओर से खसरा पांचशाला 2056-60 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 3 एवं खसरा 2061-65 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 4 में भी स्पष्ट है कि वादी उक्त भूमियों पर भूस्वामी एवं कब्जादार के रूप में दर्ज है। इस संबंध में वादी के द्वारा संबंधित हल्का पटवारी हितेन्द्रसिंह कुशवाह व०सा० 4 का भी परीक्षण कराया गया है जिसके द्वारा असल खसरा लेकर के खसरा नकलें प्रामाणित की गई हैं एवं विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य होने के संबंध में बताया है। इस प्रकार राजस्व दस्तावेजों के आधार पर भी विवादित भूमि वादी के आधिपत्य में होने की पुष्टि होती है। प्रतिवादी के द्वारा कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जबकि प्रकरण की कार्यवाही में वह उपस्थित रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि उसके द्वारा कोई जबावदावा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण हेतु उसे अवसर भी दिया गया है, इस संबंध में वादी साक्षी हितेन्द्रसिंह कुशवाह व०सा० 4 का प्रतिपरीक्षण भी किया गया है, किन्तु कोई भी विपरीत तथ्य इस संबंध में नहीं आया है।

20. प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप किये जाने एवं उसे उसके आधिपत्य से हटाने हेतु प्रयास किए जाने की पुष्टि भी प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर होती है, जबकि प्रतिवादी को उस पर कोई भी हक व आधिपत्य निहित होना नहीं पाया गया है।

21. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आए हुए अभिवचन के आधार पर तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विचार करते हुए विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होने के संबंध में निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अनियमितता की जानी नहीं पाई जाती है, बल्कि विचारण न्यायालय के द्वारा

प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य को विचार में लेते हुए प्रश्नाधीन निर्णय व आज्ञाप्ति पारित की जानी पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2005 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है।

22. तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2005 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपीलार्थी/प्रतिवादी अपने वाद व्यय के अतिरिक्त वादी/प्रतिअपीलार्थी का वाद व्यय भी बहन करेगा, अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची मुताबिक जो भी कम हो देय हो।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)